नियम 96 : देय साक्षी भत्ता

(1) जहां अपील अधिकरण किसी सरकारी सेवक को साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी करता है, वहां इस प्रकार समन किया गया व्यक्ति संबंधित सरकार के लागू नियमों के अनुसार सरकार से उसे स्वीकार्य यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा।

(2) जहां साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के भुगतान का कोई उपबंध नहीं है, वहां वह भत्ते के रूप में ऐसी राशि का भुगतान पाने का हकदार होगा, जो रजिस्ट्रार की राय में उचित यात्रा और अन्य व्ययों को वहन करने के लिए पर्याप्त हो।

(3) समन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार रजिस्ट्रार के पास भत्ते की वह रकम जमा करेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा समन जारी किए जाने से काफी पहले अनुमानित की जाएगी।

(4) यदि साक्षी को न्यायालय के साक्षी के रूप में बुलाया जाता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमानित राशि अपीलीय न्यायाधिकरण के निदेशों के अनुसार भुगतान की जाएगी।

(5) उपर्युक्त उपबंध दुभाषिया को भत्ते के भुगतान को भी नियंत्रित करेंगे।